

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :-395 / 18-19



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

कल्याण संग्रा

- विक्रेता

सरन कुमार बरला

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर											
05.04.19	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक कल्याण संग्रा पिता स्व० पौलुस संग्रा ग्राम-तापेसरा, पोस्ट-विनगांव, थाना कर्रा, जिला खूँटी ने सरन कुमार बरला पिता स्व० अदम बरला ग्राम-मालगो, पोस्ट-विनगांव, थाना कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="263 750 1396 862"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तापेसरा</td> <td>134</td> <td>41</td> <td>741</td> <td>0.30</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद सं० 0104695733 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 288 दिनांक 19.03.2019 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम सुखुवा महतो वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार लादो मुण्डा वगैरह के नाम भूमि का रकबा 33.71 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 5.63 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 4015.00(चार हजार पन्द्रह)रु० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 5.33 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण कल्याण संग्रा पिता स्व० पौलुस संग्रा को सरन कुमार बरला पिता स्व० अदम बरला के साथ ग्राम तापेसरा के खाता सं० 41 खेसरा संख्या 741 का रकबा 0.30 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 4015.00(चार हजार पन्द्रह)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="231 1926 534 2072"> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> </div> <div data-bbox="1061 1915 1380 2072"> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p> </div> </div>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	तापेसरा	134	41	741	0.30	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
तापेसरा	134	41	741	0.30								